1/13/10

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टी.ए./3904/2002/भरतपुर

1. श्री योगेन्द्र कुमार
2. श्री महेन्द्र कुमार
3. श्री विनोद कुमार
4. श्री प्रमोद कुमार
   पुत्रगण श्री महेश चन्द निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल 29/207 राजा मणी, आगरा (उ.प्र)
5. श्रीमती संतोष शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द पत्नि श्री देवेन्द निवासी दिल्ली।
6. श्रीमती कांति शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द बेवा श्री आर.पी. शर्मा निवासी ग्वालियर।
7. श्रीमती गीता शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द बेवा श्री ब्रजमोहन शर्मा निवासी जयपुर।
8. सुश्री उषा शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द निवासी दिल्ली।
9. श्रीमती बीना शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द पत्नि श्री आर.आर. शर्मा निवासी दिल्ली।
10. श्रीमती विमला शर्मा पुत्री श्री महेश चन्द पत्नि श्री एस.के. शर्मा निवासी साहिबाबाग।

W.R.
h2

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती शारदा रानी बेवा श्री राममूर्ति जाति ब्राहमण निवासी 92 कैलाश विहार बाईपास रोड़ आगरा (उ.प्र.)
2. श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राममूर्ति निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. श्री नागेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राममूर्ति निवासी 92 कैलाश विहार बाईपास रोड़ आगरा (उ.प्र.)
4. श्रीमती सुधा शर्मा पुत्री श्री राममूर्ति पत्नि श्री अखिलेख निवासी 170 जयपुर हाउस महाजन भवन के पास आगरा।
5. श्रीमती इन्द्रमति पुत्री श्री राममूर्ति पत्निल श्री एम.सी. शर्मा निवासी 19 केदार नगर सहागंज बोदला रोड़ आगरा।
6. डॉ. मधुरमा शर्मा पुत्री श्री राममूर्ति निवासी 92 कैलाश विहार बाईपास रोड़ आगरा।
7. डॉ. पूर्णिमा शर्मा पुत्री श्री राममूर्ति पत्नि श्री राजीव मिश्रा निवासी 80 शास्त्री नगर रतलाम (म.प्र.)
8. श्रीमती विजया शर्मा पुत्री श्रीचन्द पौत्री श्री गयाप्रसाद पत्नि श्री विष्णुदत्त मार्फत श्री भूपेन्द्र बिजली वाले ताजगंज आगरा।
9. श्रीमती सरला शर्मा बेवा श्री रामगोपाल शर्मा

10. सुश्री शोभना पुत्री श्री रामगोपाल
11. श्री अनिल पुत्र श्री रामगोपाल
12. श्री सुनील पुत्र श्री रामगोपाल
13. श्री मुकुल पुत्र श्री रामगोपाल
14. सुश्री वन्दना पुत्री श्री रामगोपाल
15. श्री अतुल पुत्र श्री रामगोपाल
16. श्री प्रफुल्ल पुत्र श्री रामगोपाल
17. श्री सुश्री सपना पुत्री श्री रामगोपाल
    समस्त जाति ब्राहमण निवासी 29/218 मंसा देवा राजा की मण्डी आगरा (उ.प्र)
18. श्री नारायण स्वरूप पुत्र श्री रामभरोसी
19. श्रीमती इन्द्र पुत्री श्री रामभरोसी पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार
20. श्रीमती ममता पुत्री श्री रामभरोसी पत्नि श्री देवेन्द्र शर्मा
21. श्रीमती यशोदा (हेमलता) पुत्री श्री रामभरोसी पत्नि श्री सीताराम
22. श्रीमती विनोद पुत्री श्री रामभरोसी पत्नि श्री कालीचरण
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी 29/180 बलका बस्ती राजा की मण्डी आगरा।
23. श्री जगदीश पुत्र श्री टीकाराम निवासी 820 कैपिटल ड्राइव अपार्टमेंट 814 कैरिज ए-15106-पिट्स बर्ग (यूएसए)
24. श्री उंकारनाथ पुत्र श्री केदारनाथ निवासी 29/180 बलका बस्ती राजा की मण्डी आगरा।
25. श्री परसाराम
26. श्री महेन्द्र
27. श्री हेमचन्द
    पुत्रगण श्री खचेरा जाति ब्राह्मण निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री आर.पी.शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री जे.के.पारीक : अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7
श्री अजयपाल ढिढारिया : अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 7

--

निर्णय

दिनांकः 12/10/2011

प्रार्थीगण द्वारा यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 9/7/2002 (प्रकरण संख्या 94/1998) से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के अंतर्गत एक नियमित वाद उप खण्ड अधिकारी, बयाना के न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। इस दावे में प्रतिवादीगण संख्या 12 एव 13 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड तलबाना पेश करने के निर्देश दिनांक 23/3/01 को दिये गये थें। इन आदेशों की पालना नहीं होने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 9/7/02 को यह दावा दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लेने हेतु निवेदन किया तथा इस प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया लेकिन परीक्षण न्यायालय द्वारा यह आवेदन पत्र भी दिनांक 1/8/02 को खारिज कर दिया गया। परीक्षण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस इस पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का बहस में कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना समय पर प्रस्तुत किया था लेकिन प्रतिवादी संख्या 12 वं 13 में से एक प्रतिवादी अमेरीका में रहने व दूसरे के आगरा में रहने के कारण उनकी समय पर तलबी नहीं हो पाई थी। लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा इनकी तलबी हेतु पर्याप्त प्रभावी प्रयास किये गये थे। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीया 85 वर्ष की वृद्ध महिला है अतः इस प्रकरण को पुन सुनवाई पर लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर तार्किक निस्तारण के निर्देश दिया जाना विधि अनुकूल है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी बहस में तर्क है कि परीक्षण न्यायालय में उनके द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवायी पर लेने हेतु दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसे भी परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। विद्वान

अधिवक्ता ने इस पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने एवं परीक्षण न्यायालय के पुनरीक्षणाधीन आदेश को अपास्त करने का कथन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है क्योंकि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के अंतर्गत सम्पूर्ण वाद ही खारिज हो गया है अतः इस आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में ही की जा सकती है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु कई बार निर्देश दिये गये थे लेकिन उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की तलबी न्यायालय के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष से नहीं करवाई जा रही थी। उनका बहस में कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दे कर पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने बहस के समर्थन में आर.एल.डब्लयु. 2005(2) राज. पृष्ठ 522 के न्यायिक दृष्टान्त की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण को प्रतिवादी संख्या 12 एवं 13 की तामील करवाने हेतु दिनांक 30/1/01,12/3/01,23/3/01 एवं 9/8/01 को स्पष्टतः अवसर प्रदान किये गये थे तथा दिनांक 9/7/02 को परीक्षण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 5 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद को खारिज किया है। इस प्रकरण में यह भी एक तथ्यात्मक स्थिति है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा यह नियमित वाद दिनांक 12/12/98 को प्रस्तुत किया गया था तथा इसमें करीब 17 प्रतिवादीगण थे तथा इन प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी संख्या 12 एवं 13 की तामील नहीं होने के कारण यह आदेश पारित किया गया है। यह न्यायालय दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के प्रावधानों को यहां उद्धरित करना उचित समझता है :-

Order 9 Rule 5:

Dismissal of suit where plaintiff, after summons returned unserved, fails for (seven days) to apply for fresh summons.- (1) Where, after a summons has been issued to the defendant, or to one of several defendants, and returned unserved, the plaintiff fails, for a period of (seven days) from the date of the return made to the Court by the officer ordinarily certifying to the

Court returns made by the serving officers, to apply for the issue of a fresh summons the Court shall make an order that the suit be dismissed as against such defendant, unless the plaintiff has within the said period satisfied the Court that ---

(a) he has failed after using his best endeavours to discover the residence of the defendant who has not been served, or

(b) such defendant is avoiding service of process, or

(c) there is any other sufficient cause of extending the time, in which case the Court may extend the time for making such application for such period as it thinks fit.)

(2) In such case the plaintiff may (subject to the law of limitation) bring a fresh suit.

8. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि यदि वादी प्रतिवादीगण की तामील समय पर नहीं करवाने के संबंध में उचित कारणों से न्यायालय को संतुष्ट कर देता है तो न्यायालय इस प्रकार के आवेदन पत्र में अतिरिक्त समय स्वीकृत कर सकता है। इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने इन प्रावधानों के अंतर्गत दावा खारिज कर दिया। दावा खारिज होने पर प्रार्थीगण/वादीगण के समक्ष केवल दो ही विकल्प थे, वे नया वाद प्रस्तुत कर सकते थे या दावे को पुनः नम्बर पर लेन का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते थे। इस प्रकरण में प्रार्थीगण/ वादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 1/8/02 को इस दावे का पुनः सुनवायी पर लेने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण के क्रमशः अमेरीका एवं आगरा में रहने के कारण उनके डाक के पतों की जानकारी करने में हुई देरी के कारण इनकी तलबी समय पर नहीं होने का आधार बताया है। लेकिन परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण के इस आवेदन पत्र को भी दिनांक 1/8/02 को खारिज करते हुए पुनरीक्षण आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। प्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय के इन निर्देशों की पालना में ही यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

9. यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस पुनरीक्षण आवेदन पत्र को सक्षम (Competent) मानता है क्योंकि यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र परीक्षण न्यायालय के इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 9/7/02 एवं इस आदेश को समाप्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थीगण/वादीगण के आवेदन पत्र को दिनांक 1/8/02 को खारिज करने के बाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि प्रार्थीगण/वादीगण आदेश 9 नियम 5 दीवानी प्रक्रिया संहिता के आधार पर खारिज हुए प्रकरण की अपील प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि संहिता के आदेश 43 में इस प्रावधान के अंतर्गत पारित आदेश अपील योग्य नहीं माने गये हैं।

10. इस प्रकार प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 1/8/02 में उल्लेखित कारण शपथ पत्र से समर्थित हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा इस आवेदन पत्र में उल्लेखित आधार सहज एवं विश्वसनीय हैं अतः यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पत्र को 5,000/- रूपये के हर्जाने पर स्वीकार करता है। परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 9/7/02 एवं 1/8/02 अपास्त किये जाते हैं। परीक्षण न्यायालय को निर्देश हैं कि वे 5,000/- रूपये के हर्जाने की राशि न्यायालय में जमा हो जाने के बाद प्रकरण को पुनः सुनवायी पर लेकर गुणावगुण पर निर्णीत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य